संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर-3 भोपाल, 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/सा.सहा.02/2024-25/84 भोपाल दिनांक 17/01/2025

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश।

विषय:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण रीवा संभाग रीवा म.प्र. का पत्र क्रमांक/सा.सहा./2024-25/230 रीवा दिनांक 27/12/2024

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला रीवा में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियें के आवेदन पत्र पोर्टल पर आनलाईन न होने के कारण आफलाईन स्वीकृति किये गये हैं। योजना प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आनलाईन स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित होने से पात्र पाये गये 34 हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रकरणों को आफलाईन स्वीकृति एवं भुगतान की अनुमति चाही गई है।

2. म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन का पत्र क्रमांक/1897/2754/2021/26-2 दिनांक 22/12/2021 द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) के हितग्राहियों को PFMS प्रणाली पर रजिस्टर कर पात्रतानुसार आनलाईन भुगतान की कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं।

3. इसी क्रम में म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन का पत्र क्रमांक/371/2023/26-2 दिनांक 16-03-2023 द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का भुगतान PFMS से Integrate किये गये DigiFMS से आनलाईन करने के निर्देश हैं।

अत: राष्ट्रीय परिवार सहायता के हितग्राहियों का परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने पर तकनीकी समस्याओं को दृष्टिगत होने पर ही DigiFMS से आफलाईन भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त लंबित शिकायतें सी.एम.हेल्पालाईन, समाधान आनलाईन एवं अन्य शिकयत पोर्टल पर दर्ज न हो सके।

(डॉ. राम राव भोंसले)
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/सा.सहा.-2/2024-25/85 भोपाल दिनांक 17 / 01/2025

प्रतिलिपि

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/ नगर पंचायत पंचायत म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.